भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 913
उत्तर देने की तारीख 12.12.2022

कला, संस्कृति और शिल्प के विकास हेतु सहायता अनुदान

913. श्री घनश्याम सिंह लोधी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षण और विकास से संबंधित कार्यों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत कर रही है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रदान किए गए सहायता अनुदान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान जिला रामपुर को भी कोई सहायता अनुदान प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, हां।
(ख): देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प कलाओं के संरक्षण और विकास के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये जेडसीसी वर्ष भर अपने सदस्यों राज्यों में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, सभी जेडसीसी को सरकार द्वारा नियमित वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन जेडसीसी को जारी किए गए सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
i.	2019-20	5732.95
ii.	2020-21	4009.38
iii.	2021-22	5881.48

इसके अतिरिक्त, देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प कलाओं के परिरक्षण और विकास के लिए, संस्कृति मंत्रालय इन जेडसीसी के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) भी आयोजित करता है जिनमें पूरे भारत से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2015 से पूरे देश में बारह (12) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए गए हैं। ये जेडसीसी अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय महोत्सवों का भी आयोजन करते हैं। इन जेडसीसी द्वारा भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान कोश के समुचित रखरखाव हेतु लुप्तप्राय कला रूपों सहित अनेक अन्य कला रूपों को भी प्रलेखित किया जा रहा है। डिजिटल प्रारूप (श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के प्रारूप) में अनेक कला रूपों को प्रलेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ये जेडसीसी देश की विभिन्न लोक कलाओं और संस्कृति के परिरक्षण और संवर्द्धन के लिए अनेक स्कीमें भी संचालित करते हैं यथा युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार, गुरु-शिष्य परंपरा, रंगमंच नवीनीकरण, शोध और प्रलेखन, शिल्पग्राम, ऑक्टेव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जिनका विवरण '**अनुलग्नक**' में दिया गया है।

(ग): इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निधि जारी नहीं की जाती।

****

अनुलग्नक

'कला, संस्कृति और शिल्प के विकास हेतु सहायता अनुदान' के संबंध में दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें

i. **युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना :** ''युवा प्रतिभाशाली कलाकार'' नामक इस स्कीम को दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में, विशेषकर युवा प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। इसमें 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभावान युवा कलाकारों का चयन किया जाता है और उन्हें 10,000/- रुपये का एकबारगी नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ii. **गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम:** इस स्कीम में हमारी मूल्यवान परंपराओं को भावी पीढ़ियों को सिखाने का प्रावधान किया गया है। शिष्यों को दुर्लभ और विलुप्त हो रहे कला रूपों में अनुभवी गुरुओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। क्षेत्र के दुर्लभ और विलुप्त प्राय कला रूपों की पहचान की जाती है और 'गुरूकुल' परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादकों का चयन किया जाता है। एक स्कीम के लिए छह माह से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक गुरू को 7,500/- रुपये, संगतकार को 3,750/- रुपए और शिष्य को 1,500/- रुपए का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। राज्य सांस्कृतिक कार्य विभागों द्वारा गुरुओं के नामों की अनुशंसा की जाती है।

iii. **रंगमंच नवीनीकरण स्कीम :** मंच प्रस्तुतियों और निर्माण अभिमुखी कार्यशालाओं आदि सहित रंगमंच कार्यकलापों को संवर्धित करने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रु. तक मानदेय प्रदान किया जाता है। इन समूहों को इनके दस्तावेजों के साथ-साथ इनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना के गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

iv. **अनुसंधान एवं प्रलेखन स्कीम :** संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललितकला आदि के क्षेत्र में लोक, जनजातीय एवं शास्त्रीय कला रूपों सहित विलुप्त हो रहे दृश्य एवं मंच कला रूपों को प्रिंट/श्रव्य–दृश्य मीडिया में परिरक्षित, संवर्धित और प्रसारित करना। राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला रूप को अंतिम रूप दिया जाता है।

v. **शिल्पग्राम स्कीम :** संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्पकला मेलों के आयोजन द्वारा क्षेत्रीय लोक एवं जनजातीय कला तथा शिल्प कला का संवर्धन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पकारों को अभिकल्प विकास और विपणन सहायता प्रदान करना।

vi. **ऑक्टेव :** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा नामक आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर शेष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और प्रसार करना।

vii. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (एनसीईपी) :** इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत, सदस्य राज्यों में मंचकलाओं, प्रदर्शनियों, यात्राओं आदि से संबंधित विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों/राज्यों से कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देश के अन्य भागों में आयोजित होने वाले महोत्सवों में इस क्षेत्र के कलाकारों को भी भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय केंद्र सदस्य राज्यों में होने वाले प्रमुख महोत्सवों में भी, इन महोत्सवों के दौरान कला प्रस्तुतियों का प्रबंधन करते हुए भाग लेते हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रोतागण को अन्य क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और इन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है। ये महोत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लेने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करते हैं।